RAJYA SABHA

Wednesday, the 7th May, 2003/17Vaisakha, 1925 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

[The questioner (Shri Abni Roy) was absent. For answer vide page 34 Infra.]

SLOW PACE OF POWER REFORMS

*642. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) the reasons for slow pace of reforms in the Power Sector;

(b) whether this has been one of the main reasons for poor private sector response in power generation and transmission;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps taken by Government to accelerate pace of reforms in the Power Sector ?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The main reasons which come in the way of rapid progress in power sector reforms are :

(i) High technical losses in distribution specially in rural area.

(ii) Large scale theft of power in many States.

(iii) Large scale unmetered supply of electricity and supply through faulty meters.

(iv) Tariff distortions.

(v) Inefficient billing and collection.

(vi) Lack of payment of subsidy by State Governments.

(vii) Lack of investment in transmission and distribution.

The losses of the State power utilities (without subsidy) in 1992-93 stood at Rs. 4560 crores and have grown to Rs.33177 crores in 2001-02.

(b) Yes, Sir.

(c) In the 9th Plan period, against the targeted capacity addition of 17588 MW through private sector projects, the achievement in the private sector was only 5061 MW resulting in a shortfall of 71.2%.

(d) Power sector reforms pose a difficult and complex challenge for the States who have exclusive responsibility for distribution which is the core issue in power reforms. The Ministry of Power has been encouraging and supporting the States in undertaking power sector reforms. Some of the key steps taken in this regard have been :—

(i) Setting up of the Central Electricity Regulatory Commission and encouraging the States to set up State Electricity Regulatory Commissions under the Electricity Regulatory Commissions Act and State Reform Act.

(ii) The Ministry of Power has signed State-specific Memorandum of Understanding/Memorandum of Agreement on power sector reforms with 27 States.

(iii) Under the new Accelerated Power Development and Reforms Programme, the Central Government is providing financial assistance for specific projects in identified distribution circles aimed at bringing about a turn around. This has been combined with the provision of incentive by way of grant to the States linked to the actual reduction in financial losses.

(iv) Substantial relief has also been given to the State utilities through the securitisation of past dues to Central Public Sector Undertakings (CPSUs) under the Tripartite Agreement signed with 24 States.

(v) Stepping up public sector investment in generation through Central Public Sector Undertakings and creation of a National Grid to ease the power supply situation in States.

(vi) The Electricity Bill, 2003 which has been passed by both the Houses of the Parliament envisages a liberal and competitive framework for development of the power sector.

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, आज हमारे देश में जो बिजली की स्थिति है उस पर अभी हाल ही में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के संबंध में चर्चा हुई है उन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए आज की यह आवश्यकता है कि बिजली का जितना उत्पादन है और खपत है उस गैप को कम से कम किया जाए और प्राथमिकता के आधार पर जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं चिंता व्यक्त की है कि बिजली की आपूर्ति आम आदमी की बेहतरी के लिए, देश के विकास के लिए और उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो सके इन सब बातों को दृष्टिगत रख कर किया जाना आवश्यक है, इस दिशा में सरकार ने अभी तक क्या-क्या कदम उठाए हैं और जो विभिन्न स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में चल रहे हैं उन घाटों को कम करने के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति जी, विद्युत की आपूर्ति आम उपभोक्ताओं तक करने के लिए वास्तव में यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। आज यह थोड़ा चिंता का विषय निश्चित रूप में है, यह मैं सदस्य से सहमत हूं और इसलिए इसमें सुधार करने के लिए भारत सरकार की ओर से ए.पी.डी.आर.पी. का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दो भाग हैं। एक भाग है—इन्वेस्टमेंट, वितरण के क्षेत्र में जो हमारी पुरानी पद्धति है और उसे सुधारने की आवश्यकता है, नवीनीकरण की आवश्यकता है जैसे कि कहीं शहर या ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर पुरानी लोकल ट्रांसमिशन लाईनें जो खराब हो चुकी हैं, पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं जो कहीं जल गए हैं और कहीं खराब हो चुके हैं, केपेसिटर हैं जिनको चेंज करने की आवश्यकता है। तो यह सारी वितरण से जुड़ी हुई व्यवस्था है इस पर सुधार करने क लिए ए.पी.डी.आर.पी. के तहत हम उन्हें धनराशि आवंटित करते हैं और साथ ही साथ यह जो वितरण के क्षेत्र में जितनी खामियां हैं उन्हीं के कारण राज्य विद्युत बोर्ड्स की जो वित्तीय स्थिति है वह दिन पर दिन बिगड़ती गई और जितनी वसूली होनी चाहिए थी उतनी वसूली भी राज्य विद्युत बोर्ड्स नहीं कर पाए और इसलिए राज्य विद्युत बोर्ड्स की जो आज वित्तीय स्थिति है इसका सुधार करने के लिए ए.पी.डी.आर.पी. के तहत ही एक इंसेंटिव स्कीम हम चलाते हैं। इस इंसेंटिव स्कीम के तहत राज्य विद्युत बोर्ड्स को यह सुझाव दिया गया कि आप इस घाटे को कम करिए और जितना घाटा राज्य विद्युत बोर्ड्स कम करेंगे उन्हें 50 प्रतिशत इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। सभापति जी, इस वर्ष 1600 करोड़ रुपए के इस प्रकार के क्लेम आए हैं।

जिन्होंने अपना घाटा कम किया है और उसमें 800 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने इंसेंटिव के रूप में दिया है।

श्री सुरेश पचौरी : आदरणीय सभापति जी, जैसा कि स्वयं प्रधान मंत्री जी ने जो बिजली की चोरी हो रही है उसके प्रति चिंता व्यक्त की थी, मैं चाह रहा था कि उसका उत्तर आए। प्रति वर्ष 24 हजार करोड़ रुपये की बिजली चोरी होती है और जितनी भारत में बिजली बनती है उसका 50 प्रतिशत चोरी हो जाता है। नम्बर-1, चोरी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं ? नम्बर-2, जो नवीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें बिजली के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था और एडिशनल पॉवर जनरेशन का, तो वह लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हो पाया और उसके क्या कारण हैं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया है वह पूरा हो सके उसकी दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है ? आखिरी बात, जो हाइड्रो पोटेंशियल पॉवर है उसका लो यूटिलाइजेशन है वह क्यों हो रहा है इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार क्या कदम उठा रही है क्योंकि 75:24 का रेशो है थर्मल और हाईडिल प्रोजेक्ट्स का।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति जी, बिजली की चोरी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या के कारण राज्य के विद्युत बोर्ड घाटे में हैं। भारत सरकार की ओर से सभी राज्य विद्युत बोर्डों को, राज्य सरकारों को यह सूचना दी गई थी कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। इसलिए आप सख्त कानून बनायें और उस कानून को लागू करें। अभी सोमवार को हमने एक विधेयक राज्य सभा में पारित किया है। उस विधेयक में भी प्रावधान है कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाये और उस कानून को लागू करके चोरी को रोका जाये।

सभापति जी, कुछ राज्यों ने इस प्रकार के कानून बनाये हैं। उनमें पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। जहां पर इस प्रकार के कानून बनाये गये हैं, वहां पर इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। हमें सबसे अच्छे परिणाम पश्चिमी बंगाल में दिखाई दिये हैं। उन्होंने कानून बनाया है और उसे सख्ती से लागू भी किया है। इससे चोरी कम हो गई है और वसूली की रिकवरी भी बढ़ गई है।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि प्राईवेट सेक्टर को इनकरेज करने की दिशा में आपने जो 17588 मेगावाट का लक्ष्य नौवीं पंचवर्षीय योजना में रखा था, लेकिन आपकी जो पूर्ति हुई है वह 5061 मेगावाट की हुई है। प्राईवेट सैक्टर को इनकरेज करने की दिशा में प्रत्येक राज्य ने कितने मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग साइन किये हैं, उन राज्यों की जानकारी आपको होगी। अगर प्राईवेट सैक्टर को हमने इनकरेज नहीं किया तो राज्यों के विद्युत बोर्ड घाटे में चलते रहेंगे और उस घाटे की पूर्ति आप करते जा रहे हैं।

बिजली की जितनी आवश्यकता है वह तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि आप इसमें प्राईवेट सैक्टर को इन्वाल्व नहीं करेंगे। नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राईवेट सैक्टर के जरिए से 17586 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य था। लेकिन आपका जो कुल जेनरेशन हुआ है वह 5061 मेगावाट हुआ है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में आपने क्या लक्ष्य रखा है ? क्या इसके बारे में माननीय मंत्री जी जानकारी देंगे ?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्राईवेट पावर प्रोजेक्ट के बारे में चिंता जताई है और वह सत्य है। नाइंथ प्लान में हमारा 17000 मेगावाट का लक्ष्य था, लेकिन हम केवल 5000 मेगावाट का ही लक्ष्य पूरा कर पाये हैं। टैंथ प्लान में इसे देखते हुए 41000 मेगावाट का लक्ष्य तय किया है और उसमें प्राईवेट सैक्टर से केवल 7000 मेगावाट का टारगेट हमने तय किया है।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA : Sir, during April-December, 2002, Rajasthan faced a power shortage of 81 per cent, Madhya Pradesh 14 per cent, Maharashtra 13 per cent and Karnataka 11 per cent. I would like to know from the hon. Minister whether the Government proposes to link the eastern region, which has surplus capacity, with the northern and southern regions, which are facing power shortage.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति जी, ईस्टर्न रीजन में जो सरप्लस बिजली है उसे सदर्न रीजन के लिए ले जाने के लिए आलरेडी तालचर से कोलार ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है। लगभग सात सौ मेगावाट बिजली आज हम ईस्टर्न रीजन से सदर्न रीजन में ले जा रहे हैं। कोलार से सदर्न रीजन के जो चारों स्टेट्स हैं वहां से उनको बिजली दी जाती है।

Criminal cases against IAS/IPS Officers

*643. SHRI SWARAJ KAUSHAL : Will the Minister of PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS be pleased to state :

(a) the number of IAS and IPS officers against whom criminal cases are pending, State-wise;

(b) the number of IAS and IPS officers in jail in each State;

(c) the number of IAS and IPS officers on bail; and

(d) the State-wise list of IAS and IPS officers absconding?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI HARIN PATHAK) :